न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 260/2022 तारीख रजू:— 31.10.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1.	महाराजसिंह	पिसरान करण जाति गुर्जर,
2.	रामेश्वर	निवासी आलावाडा,
3.	विजयराम	तहसील हिण्डौनसिटी
4.	नबाव	जिला करौली, राजस्थान ——————— सायलान

बनाम

1.	भीमराज पुत्र तुलसीराम		जाति गुर्जर निवासी आलावाडा
2.	वचन	पिसरान	
3.	सूबे	भीमराज	तहसील हिण्डौन जिला करौली, राजस्थान।
4.	रामभान		

5. तहसीदार लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन जिला करौली। ——————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. पी. एल. गोयल एडवोकेट गैरसायल सं0 1 ता 4

निर्णय

दिंनाक :—06.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा 439, रकवा 20 ऐयर, 440 रकवा 16 ऐयर, 441 रकवा 27 ऐयर, 442 रकवा 43 ऐयर, 461 रकवा 17 ऐयर, 462 रकवा 15 ऐयर, 463 रकवा 12 ऐयर, 464 रकवा 17 ऐयर, 641 रकवा 23 ऐयर, 642 रकवा 03 ऐयर, 652 रकवा 03 ऐयर, 653 रकवा 08 ऐयर, 654 रकवा 13 ऐयर, 655 रकवा 04 ऐयर, 656 रकवा 05 ऐयर, 663 रकवा 16 ऐयर, 664 रकवा 33 ऐयर, 665 रकवा 14 ऐयर, 672 रकवा 45 ऐयर, 677 रकवा 31 ऐयर, 679 रकवा 04 ऐयर, 680 रकवा 16 ऐयर, 343 रकवा 10 ऐयर, 344 रकवा 10 ऐयर, 643 रकवा 10 ऐयर, 651 रकवा 10 ऐयर, 666 रकवा 21 ऐयर, 671 रकथा 18 ऐयर, कुल किता 28 कुल रकवा 4.64 हैक्टेयर, स्थित ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आलावाडा, तहसील हिण्डौन में सायलान 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जबकि गैरसायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का सायलान एवं अन्य सहखातेदारान् के मध्य बाहामी बटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर स्थित ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन, सायलान के हिस्से एवं कब्जेकाश्त में चली आ रही है जिससे अन्य सहखातेदारान को कभी कोई गुरेज नहीं रहा है और ना ही आज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर पर गैरसायलान डण्डे के बल पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं, इसलिये प्रार्थनापत्र दायर करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 27.10.2022 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात में सरसों की फसल की बुबाई कर रहे थे तो गैरसायलान हाथो में लाठी, डण्डा, लेकर उक्त आराजीयात पर आ धमके और आते ही सायलान से कहने लगे हम तुम्हें इस जमीन पर काश्त नहीं करने देंगें, तो सायलान ने कहा कि भाईयो यह जमीन तो हमारी है और हम इस जमीन में 50 सो साल से बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे है, तथा उक्त जमीन हमें हमारे पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे हम साल–दर–साल, फसल–दर–फसल काश्त करते चले आ रहे है। तो गैरसायलान एकदम से नाराज हो गये और सायलान को स्पष्ट धमकी कि अब हम इस जमीन पर जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करेंगें। और तुम्हें डण्डे के बल पर बेदखल करके रहेंगें सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, इस प्रकार गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिये सायलान वखिलाफ गैरसायलान प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतूलन बखूबी सायल के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे वे आराजी खं.नं. 671 रकवा 18 ऐयर स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान के हिस्से पर जबरन कब्जा नही करें, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के हक–हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पडे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 ता 4 की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज सायलान द्वारा गैरसालान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज खसरा नम्बर 439, 440, 441, 442, 461, 462, 468, 464, 641, 642, 652, 653, 654, 655, 656, 663, 664, 635, 672, 677, 679, 680 कुल किता 22 कुल रकवा 3.85 है० तथा खसरा नम्बर 343, 344, 643, 651, 666, 671 कुल किता 06 कुल रकवा 079 है० स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन में सायलान 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार होना सही है तथा उक्त आराजीयात में खसरा नम्बर 671 को छोड़कर गैरसायल नम्बर 01 की पत्नी तथा 02 ता 04 की मां केशादेवी उर्फ केशपती पत्नी भीमराज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और वह गैरसायलान के साथ उपरोक्त आराजीयात्त के 1/4 हिस्से पर काबिज व दखील होकर उनके सहयोग से कारत करती चली आ रही है, ऐसी स्थिति में सायलान का यह कथन कि गैरसायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता नहीं है. बिल्कुल गलत दर्ज किया है तथा खसरा नम्बर 671 में न्यायालय से स्थगन आदेश पारित होने के कारण उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से के खातेदार स्वरूप पुत्र मोहरसिंह ने अपने 1/4 हिस्से को भी गैरसायलान को बेचान कर रखा है. इस प्रकार गैरसायलान उपरोक्त आराजीयात के सम्पूर्ण 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सायलान ने जानबूझ कर केशा पत्नी भीमराज को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण प्रकरण में नोन जोइन्डर ऑफ नैसेसरीज पार्टीज का नुक्स आरिज होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजीयात का सायलान व अन्य खातेदारान के मध्य कोई वहामी बंटवारा नहीं हो रखा है और ना ही ऐसे किसी वहामी बंटवारा से खसरा नम्बर 671 रकवा 18 ऐयर स्थित ग्राम आलावाडा, तहसील हिण्डौन सायलान के कब्जेकाश्त में है, बल्कि उक्त खसरा नम्बर से सायलान का कोई वास्ता नहीं है, सायलान ने यह कहीं नहीं बताया कि कौनसे खसरा नम्बर तथाकथित वहामी बंटवारे में किस खातेदार के हिस्से में आए और उनका कितना रकवा आया, ऐसी सूरत में सायलान की सम्पूर्ण थ्यौरी मनगढन्त है, कानूनन सायलान के द्वारा उक्त दावा केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया गया है, जो कि कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 27.10.2022 को सायलान अपने तथाकथित किसी हिस्से की कोई सरसों की फसल की बुवाई नहीं कर रहे थे, ना ही गैरसायलान कोई हाथों में लाठी–डण्डा लेकर पहुंचे और ना ही उक्त मद में वर्णित कोई धमकी दी और ना ही सायलान ने उक्त मद में वर्णित कोई कथन कहे और ना ही गैरसायलान ने जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करने व पक्का निर्माण करने की धमकी दी। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर गैरसायलान काबिज व दखील हैं, सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत है व अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राइमाफेसी केस व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन कोई साबित नहीं है. प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय हर्जाखर्चा खारिज फरमाया जाये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 किता 02 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2023 उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीय पक्ष, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 किता 5, फोटो प्रति नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 500/–रूपया दिनांक 21.10.2023 विक्रय पत्र उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– प्रथमपक्ष बहक भीमराज पुत्र तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली– द्वितीय पक्ष, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.21 है0, 671 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्ञानो पत्नि धर्मे हि0 1/16, जनक पुत्र धर्मे हि0 1/16, धनसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, नवलसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, नवाव पुत्र करण हि0 1/28, पुखराज पुत्र करण हि0 1/28, बनैसिंह पुत्र करण हि0 1/28, मुकेश पुत्र धर्मे हि0 1/16, मुंशी पुत्र करण हि0 1/28, महाराजसिंह पुत्र करण हि0 1/28, रत्तीराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/16, रामेश्वर पुत्र करण हि0 1/28, रामसिंह पुत्र धर्मे हि0 1/16, विजयराम पुत्र करण हि0 1/28, स्वरूप पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4, हंसराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/16 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्ञानो पत्नि धर्मे हि0 1/16, जनक पुत्र धर्मे हि0 1/16, धनसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, नवलसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, नवाव पुत्र करण हि0 1/28, पुखराज पुत्र करण हि0 1/28, बनैसिंह पुत्र करण हि0 1/224, भगवानसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, मुकेश पुत्र धर्मे हि0 1/16, मुंशी पुत्र करण हि0 1/28, महाराजसिंह पुत्र करण हि0 1/28, रेखसिंह पुत्र बनैसिंह 1/32, रत्तीराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/20, रामेश्वर पुत्र करण हि0 1/28, रामसिंह पुत्र धर्मे हि0 1/16, विजयराम पुत्र करण हि0 1/28, स्वरूप पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4, हंसराम पुत्र श्रीलाल हि0 1/20 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान हि0 1/7 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं।

गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2023 उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0, 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम आलावाडा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा केता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है। श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती, गैरसायल सं01 की पत्नि तथा गैरसायल सं0 2 ता 4 की माता है।

उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.20 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 441 रकबा 0.27 है0, 442 रकबा 0.43 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 462 रकबा 0.15 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.17 है0, 641 रकबा 0.23 है0, 642 रकबा 0.03 है0, 652 रकबा 0.03 है0, 653 रकबा 0.08 है0, 654 रकबा 0.13 है0, 655 रकबा 0.04 है0, 656 रकबा 0.05 है0, 663 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.33 है0, 665 रकबा 0.14 है0, 672 रकबा 0.45 है0, 677 रकबा 0.31 है0, 679 रकबा 0.04 है0, 680 रकबा 0.16 है0, 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन हिस्सा 1/4 के स्थान पर श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपती धर्म पत्नि श्री भीमराज जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन के नाम तब्दील हो चुकी है। जो गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072–75 के अवलोकन से स्पष्ट है।

फोटो प्रति नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 500/–रूपया दिनांक 21.10.2023 विक्रय पत्र उनवानी स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन– प्रथमपक्ष बहक भीमराज पुत्र तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी आलावाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली– द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आलावाडा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा केता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात विवादित आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 643 रकबा 0.10 है0, 651 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.21 है0, 671 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन में कुल हिस्सा 1/7 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। इस खाते में सायलान का लगभग रकबा 0.11 है0 आता है जबकि सायलान खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन के बाबत् गैरसायलान को पाबन्द कराना चाहते हैं। जबकि उक्त विवादित आराजीयात के हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

/4 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार स्वरूप पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी ालावाडा ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि को गैरसायल सं01 की पत्नि एवं गैरसायल सं0 ता 4 की माता श्रीमती केशादेवी उर्फ केशपति के हक में बेचान कर दिया है तथा उक्त जिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल हो चुका है तथा ासरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 में से भी अपना हि0 1/4 भाग को जरिये स्टाम्प बेचान केया जा चुका है तथा उक्त खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश होने के कारण रजिस्टर्ड वेकय पत्र नहीं होने बाबत स्टाम्प की लिखावट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात के 1/4 हिस्से पर गैरसायल सं01 ता 4 काबिज व दखील होना साबित है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 मुताविक राजस्व रिकार्ड नहीं आता है बल्कि मुताविक राजस्व रिकार्ड सायलान के हिस्से में लगभग मात्र रकबा 0.11 है0 आता है तथा दूसरे खाते के कुल रकबा 3.85 है0 में सायलान का रकबा 0.55 है0 आता है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि सायलान का कुल रकबा 0.66 है0 कौन-कौन से खसरा नम्बर में आता है तथा उसका कौन कौन से खसरा नम्बर पर बहामी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त है। सायलान ने मात्र खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आलावाडा के बाबत् गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 सायलान के हिस्से में आता है तो सायलान को नियमानुसार विधिवत विभाजन कराकर अपना खाता अलग कराने का दावा दायर करना चाहिए था। सायलान ने मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर किया है।

सायलान के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसके प्रत्येक पेज पर भी सायलान के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के अन्तिम पेज पर सायलान के हस्ताक्षर है, संलग्न शपथ पत्र भी प्रमाणित नहीं है। सीपीसी नियमों के तहत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रत्येक पेज पर सायलान के हस्ताक्षर होना कानूनन आवश्यक है। इस बिना पर भी सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। बल्कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/10/25

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन सिटी (करौली)